छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

——0——

क्रमांक एफ 6–04/आठ–परि./2022 नवा रायपुर, दि. 07/04/2022

प्रति,

परिवहन आयुक्त
कार्यालय परिवहन आयुक्त
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।

JTC/ATCIT

JBM

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापना।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 9328/योजना/टीसी/2022, दिनांक 10.03.2022।

——0——

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/– विषयांतर्गत के संबंध में परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका–2022 अनुमोदन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने हेतु छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(तीरथ राम साहू)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, परिवहन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 6–04/आठ–परि./2022 नवा रायपुर, दि. 07/04/2022

प्रतिलिपिः–

श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (भप्रसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय की ओर उनके अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 884, दिनांक 25.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, परिवहन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

"परिवहन सुविधा केन्द्र" मार्गदर्शिका– 2022

योजना की प्रस्तावना – परिवहन सुविधा केन्द्र (LL Facilitation Centre) भारत सरकार के राजपत्र कमांक 240(अ) दिनांक 31/03/2021 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोजगार मुखी स्वरूप देने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र का कियान्वयन प्रदेश में किया जा सकता है। परिवहन सुविधा केन्द्र में लर्निंग लायसेंस के अलावा अन्य परिवहन सेवा के आवेदन हेतु शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा। इससे शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही आम जनता को परिवहन से संबंधित सेवाऐं आसानी से घर के निकट उपलब्ध हो पाऐगी जिससे आम जनता को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस योजनांतर्गत लगभग 1000 परिवहन सुविधा केन्द्र पूरे राज्य में खोले जा सकते है जिससे लगभग 4000–5000 रोजगार का सृजन संभावित है।

1. **सुविधा केन्द्र की भूमिका**– योजनांतर्गत सुविधा केन्द्र में सुविधा केन्द्र संचालक की भूमिकाएं–
   I. अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिये आवेदन और साथ ही दी जा रही सेवाओं के लिए ऐसे आवेदक से कोई विहित प्रभार प्राप्त करना, और उसके लिये अभिस्वीकृति जारी करना; और
   II. विहित कम्प्यूटर संसाधन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित संचालक के डिजीटल हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कागज पर उनकी छाप ले कर और, आगे, ऐसी छाप पर ऐसे सत्यापन और कागज पर ली गई छाप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने के प्रमाणसूचक हस्ताक्षर कर आवेदक, अथवा उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, को व्यक्तिशः अथवा डाक या कोरियर के जरिए, उसका संदाय करना।
   III. परिवहन सुविधा केन्द्र के द्वारा शिक्षार्थी लायसेंस के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाओं हेतु फार्म भरना, ऑनलाईन भुगतान करना, आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रिंट आऊट प्रदाय करने का कार्य भी किया जा सकेगा।

2. **सुविधा केन्द्र संचालन के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हता**–
   I. कोई व्यक्ति, संगठन (Association), संघ (union), पंजीकृत स्व–सहायता समूह/सहकारी समिति (Co operative society) या कोई भी विधिक इकाई (Legal entity) पात्र होंगे।
   II. कम से कम 100 वर्गफुट का स्वयं का भवन अथवा किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। लर्निंग लायसेंस हेतु पृथक से विभाजित कक्ष होना आवश्यक है तथा लर्निंग लायसेंस आवेदक को देते समय किसी अन्य की उपस्थिति नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाना होगा।
   III. सुविधा केन्द्र संचालन हेतु आवश्यकतानुसार जीएसटी प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

IV. आवेदकों हेतु मूलभूत व्यवस्था सहित प्रतीक्षालय एवं कार्य हेतु पृथक से तकनीकी सुविधा युक्त कक्ष हो।

V. आने वाले आवेदकों हेतु पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो।

VI. कार्यस्थल में पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, कैमरा, बॉयोमेट्रिक डिवाइसेस, सिग्नेचर पैड, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता हो।

VII. प्रतीक्षालय एवं कार्य स्थल में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगा हो।

VIII. नियुक्ति हेतु आवेदक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण (10+2) एवं जिनके पास न्यूनतम कम्प्यूटर शैक्षणिक अर्हता हो–डीसीए/पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यता। संगठन (Association), संघ (union), सहकारी समिति (Co operative society) या कोई भी विधिक इकाई (Legal entity) के लिए यह लागू नहीं होगा।

IX. रूपये 1 लाख बैंक गारण्टी की राशि ली जावेगी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (गरीबी रेखा), दिव्यांग एवं थर्ड जेण्डर के लिए बैंक गारण्टी हेतु 25 हजार की राशि रहेगी जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी बैंक गारण्टी हेतु 25 हजार की राशि ली जावेगी। किसी भी शास्ति की दशा में संचालक द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी से स्वतः ही शास्ति की राशि वसूल कर ली जावेगी।

X. कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए अर्ह नही होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो जिसके लिए जिले के पुलिस अधीक्षक से जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा।

3. सुविधा केन्द्र हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रकिया–

I. संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार कर उस जिले में सुविधा केन्द्र की अधिकतम संख्या निर्धारित करते हुये प्रस्ताव कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत करेंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित संख्या उस जिले के सुविधा केन्द्रों की अधिकतम संख्या होगी।

II. इस प्रकार अनुमोदित की गई सुविधा केन्द्र की अधिकतम संख्या के अध्याधीन रहते हुए जिले के परिवहन अधिकारी संबंधित जिले में सुविधा केन्द्र किसी एक जगह में न हो बल्कि सम्पूर्ण जिले में वितरित हो इस हेतु जिले की जनसंख्या तथा समानुपातिक दूरी एवं अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा पारित सूची अंतिम होगा, जिसके विरूद्ध सुनवाई जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

III. इस योजना के अधीन सुविधा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए जिले के संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय समाचार पत्रों में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर विहित आवेदन शुल्क 200/– सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन छंटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। सुविधा केन्द्र हेतु जिले के स्थानीय निवासी को ही प्राथमिकता दी जावेगी। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगा।

IV. परिवहन सुविधा केन्द्र हेतु प्राप्त आवेदनों का सम्यक रूप से परीक्षण किया जावेगा, जिसमें कुल सुविधा केन्द्र की 33 प्रतिशत संख्या में दिव्यांगनजन, थर्ड जेंडर, आर्थिक रूप से कमजोर (गरीबी रेखा) एवं महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

V. किसी एक परिवार (कुटुंब) से एक ही व्यक्ति के आवेदन पर विचार किया जावेगा।

VI. सुविधा केन्द्र हेतु आवेदित स्थल का भौतिक निरीक्षण उपरांत सही पाये जाने की स्थिति में परिवहन अधिकारी अर्हताधारी का चयन करेगा।

VII. संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा चयनित आवेदकों से विहित शुल्क 10000/– (रू. दस हजार मात्र) वसूल करने के पश्चात सुविधा केन्द्र के लिए कोड कमांक आबंटित कर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा, जिसके साथ सुविधा केन्द्र स्वामी द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों तथा संधारित किये जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप संलग्न होगा।

4. प्राधिकार पत्र की कालावधि, नवीनीकरण आदि–

I. सुविधा केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और परिवहन अधिकारी द्वारा समय–समय पर भौतिक निरीक्षण उपरांत एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।

II. नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को प्राधिकार पत्र के समाप्त होने की तारीख से 30 दिन पूर्व विहित शुल्क 2500/– के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, विलंब होने की दशा में प्राधिकार पत्र के समाप्ति दिनांक से 50/– प्रतिदिन विलंब शुल्क प्रभारित की जायेगी। 06 माह से अधिक विलंब होने की दशा में आवेदक को जारी प्राधिकार पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

III. परिवहन अधिकारी सुविधा केन्द्र के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुये सुविधा केन्द्र का स्थल निरीक्षण उपरांत प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा जारी करने से इंकार कर सकेगा।

IV. आवेदक अथवा सुविधा केन्द्र का स्वामी परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्राधिकार पत्र जारी करने से इंकार/नवीनीकरण करने से इंकार के आदेश के विरूद्ध परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के समक्ष निर्धारित फीस के साथ आदेश के 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा, ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

V. प्राधिकृत सुविधा केन्द्र का स्वामी, प्राधिकार पत्र को किसी भी समय परिवहन अधिकारी को सौंप सकेगा और इस प्रकार सौंपने की तारीख से प्राधिकार रद्द किया गया माना जायेगा। सुविधा केन्द्र का स्वामी प्राधिकार पत्र एवं नवीनीकरण पत्र को संचालित स्थल पर प्रदर्शित करेगा।

5. प्राधिकार पत्र का निलंबन/रद्दकरण–

I. यदि परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई सुविधा केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का पालन नही करता है तो वह ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे करने के पश्चात और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को निलंबित/रद्द कर सकेगा।

II. सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा अधिसूचित सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत पाए जाने पर, जांच उपरांत सही पाए जाने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

III. परिवहन सुविधा केन्द्र समस्त शासकीय कार्यालयीन दिवस को कार्यालयीन समय में अनिवार्य रूप से संचालित होंगे, संचालन नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निलंबन/निस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

IV. परिवहन सुविधा केन्द्र अंतर्गत लर्निंग लायसेंस बनाने की प्रकिया अधिकृत परिवहन सुविधा केन्द्र स्थल से अन्यत्र किसी भी स्थान पर करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकार पत्र निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

V. परिवहन सुविधा केन्द्र के द्वारा लर्निंग लायसेंस प्रिंट केवल परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) में निर्धारित प्रारूप में किया जावेगा। साथ ही प्रतिदिन सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) में जारी किये गये लर्निंग लायसेंस का स्टॉक पंजी में आवेदकवार विवरण एवं उपयोग नहीं किए गये सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) की जानकारी संधारित की जावेगी। उक्त प्रकिया का पालन नहीं किये जाने पर प्राधिकार पत्र निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

VI. संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्राधिकार पत्र का निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरूद्ध परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के समक्ष निर्धारित फीस 5000/– (रू. पांच हजार मात्र) की राशि पुनः जमा करने संबधी प्रमाण के साथ आदेश के 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा, ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम होगा। यदि अपीलार्थी की अपील अग्राहय करते हुये उनको प्रदाय की गई प्राधिकार पत्र रद्द करने की स्थिति में जमा बैंक गारंटी की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

6. सुविधा केन्द्र का भौतिक निरीक्षण –

I. परिवहन विभाग अंतर्गत मैदानी परिवहन कार्यालयों के क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी/एआरटीओ अधिकारी क्षेत्राधिकार अंतर्गत अधीनस्थ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

II. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह निरीक्षण करेगा कि मोटरयान अधिनियम 1988, केन्दीय मोटरयान नियम 1989 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों और परिवहन सुविधा केन्द्र हेतु निर्धारित प्राधिकार पत्र की शर्तों का पालन, सुविधा केन्द्र द्वारा किया जा रहा है अथवा नही। इस हेतु समय–समय पर परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना होगा।

7. सुविधा केन्द्र प्राधिकारी की देयताएं–

I. सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा किन्ही अनुदेशों के कियान्वयन, नियमों के पालन या किन्ही निर्देशों के अनुपालन की कोई असफलता, अथवा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन विधिमान्य बाध्यताओं के पालन में किसी व्यतिक्रम, चाहे स्वयं उसके द्वारा अथवा उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति उसके नियोजन में हो अथवा नहीं, से उद्भूत अथवा परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक निकाय अथवा कोई अन्य लोक सेवक भी आते हैं, को हुई किसी हानि या नुकसान की सभी देयता के विरूद्ध ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा राज्य शासन, उसके किसी भी सक्षम प्राधिकारियों, और परिवहन मुख्यालय, को क्षतिपूरित किया हुआ समझा जाएगा।

II. नियमों के प्रयोजनों के लिए अथवा परिवहन मुख्यालय के अनुदेशों के अधीन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्राप्त, सृजित अथवा अनुरक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक का उत्तरदायित्व होगा, और उसकी नियुक्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की दशा में ऐसा सुविधा केन्द्र संचालक सभी अभिलेखों को संबंधित परिवहन अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) के पास विहित रीति में जमा करेगा।

7.5.22

III. आवेदक जिस जिले के निवासी है उसी जिले के सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा शिक्षार्थी चालक लायसेंस अथवा अधिसूचित परिवहन सेवाओं हेतु प्रकिया संपन्न करेगा अन्य जिले के निवासी हेतु प्रकिया नही की जावेगी।

IV. सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा एकत्रित विहित प्रभारों का लेखा रखने के लिए, और उसे देय सेवा प्रभारों को प्रतिधारित करने के बाद उन्हें विहित रीति में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

V. प्राधिकृत सुविधा केन्द्र के स्वामी द्वारा रिकॉर्ड की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व तक संबंधित परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि जानकारी आगामी माह के निर्धारित समयावधि तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, संबंधित सुविधा केन्द्र संचालक को जारी आईडी को बंद किया जा सकेगा।

VI. शिक्षार्थी चालक लायसेंस अथवा अधिसूचित परिवहन सेवा के किसी भी आवेदक को सेवा प्रदाय करते समय किसी लापरवाही, रिष्टि अथवा अनुचित विलंब से उद्भूत, या नकली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज या जानकारी स्वीकार करने अथवा प्रेषित करने के परिणामस्वरूप, किसी हानि, असुविधा, क्षति या देयता के लिए प्राधिकृत सुविधा केन्द्र के स्वामी उत्तरदायी होगा।

VII. लर्निंग लायसेंस टेस्ट कक्ष पृथक से रहेगा जहां सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगा हो, जिसका रिकार्ड अगले छः माह तक रखा जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विगत छः माह के किसी भी दिन की रिकॉर्डिंग की मांग करने पर सुविधा केन्द्र प्राधिकारी को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

VIII. जिस व्यक्ति के नाम से परिवहन सुविधा केन्द्र रहेगा उसे ही संचालन करना होगा। साथ ही सुविधा केन्द्र संचालन हेतु रखे गये अधीनस्थ कर्मचारियों नियुक्त करने से पूर्व कर्मचारी की सूची पूर्ण विवरण सहित संबंधित परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

IX. परिवहन सुविधा केन्द्र में संचालक एवं कार्यरत् अधीनस्थ कर्मचारी की सूची जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता, संपर्क नंबर इत्यादि का पूर्ण विवरण अंकित हो, सुविधा केन्द्र के दृष्टिगोचर स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। सुविधा केन्द्र में उल्लेखित संचालक एवं कर्मचारियों के अलावा परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के द्वारा संचालित किये जाते हुये पाये जाने पर परिवहन सुविधा केन्द्र का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

X. आवेदक के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा लर्निंग लायसेंस टेस्ट लेते हुए पाया जाता है तो 10,000/– की पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी, जिसका भुगतान सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा किया जायेगा, साथ ही सुविधा केन्द्र संचालक के लिए लागू मार्गदर्शी सिद्धांत एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित परिवहन अधिकारी को सुविधा केन्द्र प्राधिकार पत्र निलंबन एवं निरस्त करने की शक्ति होगी।

XI. यदि तीन से अधिक बार ऐसा पाया जाता है तो सुविधा केन्द्र प्राधिकार पत्र को निलंबित/निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी अपील परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के समक्ष निर्धारित फीस के साथ आदेश के 30 दिन के भीतर कर सकेगा, ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

XII. यदि पंजीयन प्राधिकारी चाहे तो परिवहन सुविधा केन्द्रों का तृतीय पक्ष ऑडिट भी कराया जा सकेगा। ऑडिट हेतु लगने वाले शुल्क का भुगतान परिवहन सुविधा केन्द्र के द्वारा किया जाएगा।

7.4.22

8. **सुविधा केन्द्र प्राधिकारी को दिए गए विहित प्रभारों के संबंध में उपधारणा–**

किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवा के संबंध में सुविधा केन्द्र संचालक को दिए गए किन्हीं विहित प्रभारों, जिसके अंतर्गत सेवा प्रभार भी आता है, के मामले में विहित कम्प्यूटर संसाधन द्वारा प्रजनित इलेक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति की कागज पर छाप, जो ऐसे व्यक्ति को ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गई हो, प्रथमदृष्ट्या, ऐसे भुगतान का सबूत होगी, और यह उपधारणा की जायेगी वे देयक या दावे, जिनके लिये अभिस्वीकृति जारी होना तात्पर्यित थी, उस सीमा तक संतुष्ट हो चुके है; तथापित, केवल भुगतान अपने आप में ऐसा कोई अधिकार, स्वत्व, विलंब की माफी, परिसीमा–काल, काल का विस्तारण, अथवा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में छूट सृजित नही करेगा, जिसके लिये वह अन्यथा हकदार न हो।

9. **सुविधा केन्द्र संचालक के कृत्य–**

सुविधा केन्द्र संचालक के निम्नलिखित कृत्यों को करने के लिए सक्षम और उत्तरदायी होगा–

I. अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिये आवेदन और साथ ही दी जा रही सेवाओं के लिए ऐसे आवेदक से कोई विहित प्रभार प्राप्त करना, और उसके लिये अभिस्वीकृति जारी करना; और

II. विहित कम्प्यूटर संसाधन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित संचालक के डिजीटल हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कागज पर उनकी छाप ले कर और, आगे, ऐसी छाप पर ऐसे सत्यापन और कागज पर ली गई छाप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने के प्रमाणसूचक हस्ताक्षर कर आवेदक, अथवा उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, को व्यक्तिशः अथवा डाक या कोरियर के जरिए, उसका संदाय करना।

III. समय–समय पर परिवहन विभाग द्वारा सुविधा केन्द्रों हेतु आवश्यक उपकरणों, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर अपडेट करने संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुपालन से इंकार नहीं किया जा सकेगा।

IV. परिवहन सुविधा केन्द्र समस्त कार्यालयीन दिवस को कार्यालयीन समय में अनिवार्य रूप से संचालित होंगे, तथा संचालक चाहे तो शासकीय अवकाश के दिन भी संचालन किया जा सकेगा।

V. परिवहन सुविधा केन्द्र अंतर्गत लर्निंग लायसेंस बनाने की प्रकिया केवल अधिकृत परिवहन सुविधा केन्द्र स्थल में ही संचालित किये जायेंगे।

VI. परिवहन सुविधा केन्द्र के द्वारा लर्निंग लायसेंस प्रिंट केवल परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) में निर्धारित प्रारूप में किया जावेगा। परिवहन सुविधा केन्द्र संचालक के द्वारा परिवहन विभाग से आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) प्राप्त किया जावेगा।

VII. परिवहन सुविधा केन्द्र संचालक के द्वारा परिवहन विभाग से प्राप्त सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) का स्टॉक पंजी संधारित किया जावेगा। प्रतिदिन स्टॉक पंजी में उपयोग किए गए सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) का आवेदकवार विवरण एवं उपयोग नहीं किए गए सुरक्षित दस्तावेज (Secured stationary) की जानकारी संधारित की जावेगी।

10. सुविधा केन्द्र द्वारा अनुसरण की जाने वाली अन्य आवश्यक प्रकिया–

I. विहित प्रभारों, जिनमें सेवा प्रभार सम्मिलित है, के भुगतान पर सुविधा केन्द्र संचालन विहित कम्प्यूटर संसाधन में अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवा, जिसे ऐसा सुविधा केन्द्र संचालक उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत है, का उपयोग करने को इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी (उसके आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों सहित) को विहित रीति में प्रवेशित करेगा।

II. ऐसी प्रवेशित जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रूपित की जायेगी जिसमें आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही होने और उसके आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होने, तथा जानकारी झूठी पाए जाने अथवा दस्तावेज वास्तविक या सही नहीं पाए जाने की दशा में देयता से उसके द्वारा सुविधा केन्द्र संचालक और सक्षम प्राधिकारी को क्षतिपूरित करने की घोषणा सम्मिलित होगी।

III. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधित सुविधा केन्द्र संचालक के मार्फत सक्षम प्राधिकारी को संबोधित एक आवेदन की प्रकृति का होगा, और ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा कागज पर दो प्रतियों में छापा जायेगा जिसे वह आवेदक को उपलब्ध कराएगा।

IV. सुविधा केन्द्र द्वारा संबंधित आवेदक के ही मोबाईल नंबर को ही कार्यवाही हेतु दर्ज किया जाना आवश्यक होगा।

V. आवेदक अपने आप को दस्तावेजों की सत्यता के बारे में संतुष्ट करने के बाद दोनों प्रतियों को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान से अधिप्रमाणित करेगा और एक प्रति को स्वयं रखेगा व अन्य प्रति सुविधा केन्द्र संचालक को देगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और, यदि और जब कभी सक्षम प्राधिकारी उसे उपलब्ध कराने की अपेक्षा करें, उसे उपलब्ध कराएगा।

VI. सुविधा केन्द्र संचालक आवेदन के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों से युग्मित होगा, पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उसे विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करेगा।

VII. आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित होने पर ऐसे संसाधन द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति प्रजनित की जाएगी जिसमें एक आवेदन संदर्भ अंक अन्तर्निहित होगा जिसकी सहायता से आवेदक उसके आवेदन के निर्णय के संबंध में अवस्था के बारे में पूछताछ कर सकेगा।

VIII. सुविधा केन्द्र संचालक ऐसी अभिस्वीकृति की कागज पर छाप लेगा और, अभिस्वीकृति में अन्तर्निहित जानकारी कागज पर ली गई छाप का सत्य रूपण होने प्रतिकस्वरूप तिथि सहित हस्ताक्षर कर, उसे आवेदक को देगा।

IX. सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदन के पूर्वोक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी की कागज पर छाप लिया जाना (एक) सुविधा केन्द्र संचालक के डिजीटल हस्ताक्षर का सत्यापन कारित कराते हुए, और (दो) कागज पर ली गई छाप में अन्तर्निहित जानकारी की तुलना सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से की जा कर अधिप्रमाणित होना कारित कराते हुए, कारित कराएगा।

X. सक्षम संचालक, ऐसी जांच या रिपोर्ट बुलाने आदि के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, अपना विनिश्चय विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित करेगा, जिसके बाद आवेदित सेवा के संबध में समुचित दस्तावेज एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में विहित कम्प्यूटर संसाधन से प्रजनित होगा जिसे सक्षम संचालक अपने डिजीटल हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करेगा, और विहित कम्प्यूटर संसाधन पर विहित रीति में अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संचित करेगा।

XI. सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कागज पर छाप लेना कारित करेगा, उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा, और उसे आवेदन से संबंधित अभिलेख में सम्मिलित होना कारित करेगा।

XII. आवेदन जमा करते समय प्रजनित अभिस्वीकृति साधारणतः वह तिथि इंगित करेगी जिस पर, या वह अवधि जिसके बाद, आवेदन पर विनिश्चय और पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज साधारणतः विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उपलब्ध होंगे।

XIII. आवेदन पर विनिश्चय होने के बाद आवेदक सुविधा केन्द्र संचालक के पास जा सकेगा और ऐसा सुविधा केन्द्र संचालक सक्षम प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रूप के पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज की विहित कम्प्यूटर संसाधन से विहित रीति में कागज पर छाप लेगा।

XIV. पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर सक्षम प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होने का सत्यापन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा किये जाने, और कागज पर ली गई छाप वाला दस्तावेज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने, के प्रमाणीकरण के प्रतीकस्वरूप सुविधा केन्द्र संचालक ऐसी छाप वाले दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा, और ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज को आवेदक को देगा।

XV. सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य शासन विधि के अधीन प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, विवरणियों, विवरणों, अभिलेखों, आदि को परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिए, परिवहन मुख्यालय द्वारा, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे, और उन्हें एक विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करने की रीति, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अधिप्रमाणित करने की रीति, भी विहित कर सकेंगे।

XVI. राज्य शासन, "परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका–2022" में इंगित प्रक्रिया के अतिरिक्त, किसी विशिष्ट अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवा, अथवा ऐसी सेवाओं की श्रेणी, के संबंध में प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

XVII. लर्निंग लायसेंस से संबंधित किसी भी न्यायालयीन प्रकरणों में आवेदकों के त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण एवं कूटरचित दस्तावेज अथवा मिथ्यापूर्ण कार्यवाही किये जाने की दशा संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित परिवहन सुविधा केन्द्र संचालक एवं आवेदक का होगा।

11. परिवहन विभाग को देय राशि के अतिरिक्त परिवहन सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदकों से प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क–

स.क.	विवरण	सुविधा केन्द्र को देय शुल्क
1	ऑनलाईन आवेदन हेतु सेवा शुल्क	100/– (सौ रूपये मात्र)
2	परिवहन विभाग को ऑनलाईन फीस/टैक्स भुगतान करने हेतु (प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए)	50/– (पचास रूपये मात्र)
3	लर्निंग लायसेंस हेतु शुल्क	50/– (पचास रूपये मात्र)
4	आवेदन पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग एवं अपलोड (प्रति पेज)	5/– (पांच रूपये मात्र)
5	ऑनलाईन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंट आऊट शुल्क (प्रति पेज)	5/– (पांच रूपये मात्र)

टीपः– वाहन एवं सारथी से जनरेटेड रसीद की प्रति आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

12. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों, निर्देशों आदि के विरूद्ध अपील–

इस मागदर्शिका के अधीन परिवहन अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) के किसी आदेश, निर्देश आदि से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, निर्देश, आदि की जानकारी की तिथि से तीस दिवस के भीतर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ के समक्ष निर्धारित फीस सहित अपील प्रस्तुत कर सकता है एवं ऐसे अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

7.12.2022

(तीरथ राम साहू)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग